

ISSN 0974 - 7648

JIGYASA

An Interdisciplinary Refereed Research Journal

जिग्यासा

Chief Editor :
Indukant Dixit

Executive Editor :
Shashi Bhushan Poddar

Editor :
Reeta Yadav

Contents

- शोध कार्य में प्रमाणीकरण की पद्धति 1-3
डॉ. मनीष कुमार वर्मा, पूर्व शोध छात्र, गायन विभाग, संगीत एवं मंच कला संकाय, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी,
- इलाहाबाद नगर के सांस्कृतिक विकास में कुम्भ मेला की भूमिका 4-8
प्रदीप कुमार उपाध्याय, वरिष्ठ शोध छात्र, भूगोल विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद।
- बौद्ध प्रतिमा लक्षण में आनन्द की अभिव्यक्ति एवं स्वरूप 9-11
धर्मेन्द्र यादव, शोध छात्र, इतिहास विभाग, सामाजिक विज्ञान संकाय, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी-221005
- बौद्ध काल व सलतनत काल में भारतीय संगीत की स्थिति 12-16
रिंकी सिंह, शोध छात्रा, वाद संगीत विभाग, संगीत एवं मंच कला संकाय, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी
- औंनर किलिंग 17-20
महाबीर कुमार, शोध छात्र, डॉ.ए.वी. पी.जी. कॉलेज, वाराणसी।
- आयुर्वेद के मौलिक सिद्धान्तों की उत्पत्ति-एक विवेचन 21-24
डॉ. चन्द्रशेखर पाण्डेय, रीडर, मौलिक सिद्धान्त विभाग, राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय वाराणसी।
- गुप्त युगीन साहित्य में सौन्दर्य प्रसाधन 25-27
डॉ. किरन सिंह, प्रवक्ता, प्राचीन इतिहास, के.बी.पी.जी. कालेज, मीरजापुर
- वैदिक युग में संगीत 28-32
दूष्पुर चक्रवर्ती, शोध छात्रा- गायन विभाग, संगीत एवं मंच कला संकाय, का.हि.वि.वि., वाराणसी।
- साहित्य और संस्कृति का अन्योन्याश्रित-सम्बन्ध 33-36
डॉ. उमापति दीक्षित, डी.लिट, एसोसिएट प्रोफेसर, हिन्दी विभाग, कालिकाधाम पी.जी. कॉलेज, सेवापुरी, वाराणसी
- अवेस्तीय तथा वैदिक अग्नि में सान्य एवं वैषम्य 37-40
डॉ. भानू प्रकाश त्रिपाठी, पूर्व शोध छात्र, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

- साम्प्रदायिक दंगे और महिलाएं : कानपुर दंगों के विशेष संदर्भ में
डॉ. अनुप कुमार सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर, समाजशास्त्र विभाग, डी.ए.व
कालेज, कानपुर 146-157
- गुटनिरपेक्षता की प्रासांगिकता
डॉ. देवरुप तिवारी, एसोसिएट प्रोफेसर, रक्षा एवं स्वातंजिक अध्ययन,
गांधी स्मारक त्रिवेणी पी.जी. कालेज, बरदह, आज़मगढ़ (उ.प्र.) 158-161
- ✓ राष्ट्रीय विकलांग जन-नीति, 2006
मीना कुमारी, असिस्टेन्ट प्रोफेसर (सेशल एजुकेशन), गुरु धासीदास
विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छत्तीसगढ़) 162-168
- नालन्दा से प्राप्त गुप्तकालीन मुद्रालेख का ऐतिहासिक महत्त्व
प्रीति सिंह, शोध छात्रा, प्रा.भा.इति.सं. पुरातत्त्व विभाग, काशी हिन्दू
विश्वविद्यालय, वाराणसी 169-173
- जनपद मऊ (उ.प्र.) में नगरों की उत्पत्ति एवं विकास
डॉ. अरविन्द कुमार सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर, भूगोल, देवेन्द्र पी.जी.
कालेज, बिल्थरा रोड, बलिया 174-180
- अतिवादी समाजशास्त्र : एक विवेचन
डॉ. अशोक कुमार सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर, समाजशास्त्र विभाग,
जगतपुर, पी.जी. कॉलेज, जगतपुर, वाराणसी। 181-184
- महात्मा गांधी के सामाजिक विचार
डॉ. शिवाकांत मिश्र, एसोसिएट प्रोफेसर (समाजशास्त्र), देवेन्द्र पी.
जी. कॉलेज, बिल्थरा रोड, बलिया 185-189
- काव्येषु समासजनिता लावण्यविच्छिन्निः
कृष्ण पद शील, शोधचात्र, संस्कृत-विभाग, बी.आर.ए. विहार
विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुरम् 190-193
- बच्चों का मनो-सामाजिक विकास
नाजनी बानो, शोधकर्ता, गृह विज्ञान विभाग, बी.आर.ए. विहार
विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर। 194-202
- भारत में वनों की स्थिति : एक विश्लेषण
डॉ. मुकेश कुमार, अतिथि प्रवक्ता, हे.न.ब. गढ़वाल वि.वि. (केंद्रिय
वि.वि.) श्रीनगर, उत्तराखण्ड, परिसर-पौड़ी 203-205
- प्राचीन भारतीय समाज एंव वर्ण व्यवस्था का विकास
डॉ. विष्णुचन्द्र त्रिपाठी, एसोशिएट प्रोफेसर, राजनीतिशास्त्र, आर.एस.
के.डी.पी.जी. कालेज, जौनपुर 206-207

- नारी सशक्तीकरण : ग्रामीण नीति
सरकार की भूमिका : एक व्यावर्ष
मीलेश कुमार राम, राजनीति विज्ञान
विश्वविद्यालय, वाराणसी।
लंच लाल भारती, एन.किल.,
विश्वविद्यालय, वाराणसी।
- राजनीतिकृत विद्यशालमिका : स.
डॉ. ज्योतिसना पाठ्डेय, असिस्टेन्ट प्रो
कालेज, लखनऊ
- मिर्जा राजा जयसिंह तथा मरावा स.
डॉ. जवाहरी रावत, प्रवक्ता, नम्बदेश्वर
पी.जी. कालेज, वाँसागांव गोरखपुर
- नम्बदेश्वर में भूमि संवंधी कानून और
डॉ. शिवेन्द्र शर्मा, सहायक प्राच्याचक,
नम्बदेश्वर, तह. महेश्वर, जिला बलनगर
- पंचायती राज व्यवस्था : ग्रामीण विज्ञान
डॉ. प्रेमचन्द्र यादव, एसोसिएट प्रोफेसर
विज्ञान विभाग, बी.एन.के.बी. पी.जी. कॉले
ज, नगर
- भारतीय महिलाओं का राजनीतिक सम्बन्ध
रजनी सिंह, शोध छात्रा, समाजशास्त्र विज्ञान
विश्वविद्यालय, वाराणसी
- ग्रामीण जीवन के बदलते स्वरूप : एक
(पश्चिमी चन्पारण जिला के चनपटिया)
के संदर्भ में
अवयोश साह, व्याख्याता, सनात इन्स्टी
मल्याविद्यालय, बेतिया (पश्चिमी चन्पारण) (बी.
विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर)

राष्ट्रीय विकलांग जन-नीति, 2006

मीना कुमारी *

विकलांग व्यक्तियों को देश का महत्वपूर्ण मानव संसाधन के रूप में देखते हुए समाज में उसके समान अवसर, अधिकारों की रक्षा एवं पूर्ण मानीदारी सुनिश्चित करने के लिये सामाजिक चाय एवं अधिकारिता मन्त्रालय ने एक राष्ट्रीय नीति (सं. 3-1 / 1993-डी.डी.एतीय) बनायी है। इस नीति के अनुसार पुनर्वास सेवाओं के वितरण प्रणाली की स्थापना निचले स्तर से लेकर राज्य स्तर तक की जानी है। ग्राम पंचायतों और प्रखण्ड स्तर पर मुख्य रूप से इसके रोकथाम, आरम्भिक खोज और स्थग्न क्षेत्र पर भी ध्यान दिये जाने की बात कही गयी है। इस स्तर पर उत्तरदायित्वों में आधारस्तुत पुनर्वास सेवाएं तथा रेफरल सेवा के प्रावधानों को भी शामिल किया गया है। जैसे समता, स्वतंत्रता, न्याय और समान पर जोर देते हुए जन-जन के बीच इस उद्देश्य को पूरा करना है कि भले ही कोई व्यक्ति निःशक्त हो अथवा नहीं, क्षमताएं अपने आप में अनूठी ही होती है और इनका क्षेत्र अत्यधिक विस्तृत है तथा इनको सीमाओं में नहीं बाधा जा सकता है। अतः निःशक्त व्यक्तियों को अगर भरपूर अवसर और पुनर्वास की सुविधाएं प्रदान की जाएं तो निःशक्त व्यक्तियों की तरह आगे बढ़कर भारत के सर्वशिक्षा अभियान के स्वाम्न को पूरा करने में सहयोग दे सकते हैं। आवश्यकता है केवल एक सकारात्मक सोच की!

राष्ट्रीय जन-विकलांग नीति 2006 का लोकप्रण वर्ष 2006 में मीना कुमार तत्कालीन सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (भारत सरकार) द्वारा किया गया, इसमें भारत में नियोग्य व विकलांग व्यक्तियों के पुनर्वास हेतु अन्य अधिनियमों, शैक्षिक व विकितस्त्रीय प्रशिक्षण प्रदान करने वाले संस्थानों का भी उल्लेख है। राष्ट्रीय विकलांग जन-नीति में मीना विद्वाँ द्वारा प्रकाश डाला गया है—

- विकलांग निवारण
- पुनर्वास उपाय
- भौतिक पुनर्वास कार्य नीति (शीघ्र पता लगाना / परामर्श और चिकित्सा उपचार)
- साहायक यत्र
- पुनर्वास व्यवस्थापकों का विकास
- विकलांग व्यक्तियों के लिये शिक्षा
- विकलांग व्यक्तियों का आर्थिक पुनर्वास

- विकलांग महिलायें
- विकलांग बच्चे
- बाधामुक्त वातावरण
- विकलांगता प्रमाण पत्र
- सामाजिक सुरक्षा
- और सरकारी सांचारों को बढ़ावा देना
- विकलांग व्यक्तियों के संदर्भ में नियमित सूचना का संग्रहण
- अनुसंधान
- खेल-फूट, मनोरंजन तथा सांस्कृतिक जीवन
- विकलांग व्यक्तियों से संबंधित विद्यान अधिनियमों में संसाधन हस्तक्षेप के मुख्य क्षेत्र निवारण, शीघ्र पहचान और उपचार
- * मानव संसाधन विकास
- कार्यान्वयन की जिम्मेदारी
- अब हम राष्ट्रीय जन विकलांग नीति 2006 का विस्तार से अध्ययन करते हैं—
- विकलांगता निवारण, शीघ्र पहचान और उपचार— विकलांगता की शीघ्र पहचान एवं निवारण सुनिश्चित करने के लिये निम्नलिखित कार्यवाही की जायेगी :

 1. दीकाकरण (बच्चों तथा गर्भवती महिलाओं को) सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता के राष्ट्रीय, प्रादेशिक एवं स्थानीय कार्यक्रमों का विस्तार किया जायेगा।
 2. बच्चों में विकलांगता का शीघ्र पता लगाने के लिये, चिकित्सा एवं अर्थ विकेत्सा कर्मचारियों को समुचित रूप से प्रशिक्षित एवं साधन सम्पन्न किया जायेगा।
 3. विकेत्सा एवं अर्थ विकेत्सा स्वास्थ्य अधिकारियों और आगनबाई कार्यकर्ताओं के लिये, विकलांगता निवारण, शीघ्र पहचान और उपचार में प्रशिक्षण मॉड्यूल्स और सुविधाओं का विकास किया जायेगा।
 4. विकेत्सा शिक्षा में ज्ञानकोत्तर स्नातक डिग्री और डिलोमा स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों में विकलांगता के निवारण, शीघ्र पता लगाने एवं उपचार संबंधी मॉड्यूल्स शामिल होंगे।
 5. विकलांग व्यक्ति वाले परिवारों के लिये विकलांगता विशिष्ट मैनुअल भी बनाया जायेगा तथा यह निःुल्क प्रदान किया जायेगा।
 6. मानव संसाधन विकास संस्थाएं यह सुनिश्चित करेंगी कि विशेष शिक्षा, वित्तीनिकल मनोविज्ञान, फिजियोथेरेपी, व्यावसायिक थेरेपी, ऑडियोलैंजी,